न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 72/2020 दायर दिनांकः 08.10.2020

उनवान

1— नेमीचंद पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

2— नरवरसिंह पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

3—बाबुलाल पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

4— बालमुकनंद पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1— अनार पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

2— अरूण पुत्र रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

3— कमलीबाई बेवा पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

4— मृतक जडावबाई बेवा इसरिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

5— जवानिया पि. हीरा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

6— जवारिया पि. हीरा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

7— पुजा पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

8— प्रहलाद पि. हीरा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

9— पवन पुत्र रामलाल जाति नट निवासी बिजनियाखेडी तहसील पिडावा

10— मदन पि. हीरा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

11— ममताबाई बेवा रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

12— मेहरबान पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

13— रामकन्या पुत्री पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

14— लीलाबाई पुत्री इसरिया पत्नि घनश्याम जाति नट नि. देवली तहसील रामगंजमंडी

15—शिल्पा पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

16—सपना पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

17— सलेमान पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

18–सायताबाई पुत्री इसारिया पत्नि बापुलाल जाति नट नि. कुमडा तहसील राजगढ़

19–सोनाबाई पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

20–चेनसिंह पि. जुवारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

21– जगदीश पि. जुवारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

22– बनेसिंह पुत्र जुवारीया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

23– राजाराम पुत्र जुवारीया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

24– प्रेमबाई पुत्री जुवारीया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

25– गुडडीबाई पत्नि जुवारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

26– लालचंद पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

27–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल राज.

– प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा–91,88,63 (ए), 209 राज.टी.एक्ट बाबत् विलोपित किये जाने नाम व हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर–4, 9, 15, 19 एवं जोडे जाने नाम वादीगण के हिस्से मे वास्ते घोषणा खातेदारी अधिकार एवं दुरूस्ती रिकार्ड

उपस्थिति अभिभाषकगण –
अभिभाषक वादीगण – श्री मसूद अहमद खान
अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 से 26 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 27 – पेरोकार सरकार

निर्णय **दिनांक : 15.05.2026**

संक्षिप्त में तथ्य इसं प्रकार है कि मुताबीक जमाबंदी संवत 2072–2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2020 से) स्थाई ग्राम चछलाई तहसील सुनेल जिला झालावाड में नई खाता संख्या 65 व पुरानी खाता संख्या 54 की आराजीयात खसरा नम्बर–410/50 रकबा 0.0886 हैक्टेयर, जिसमे बीड प्रथम 0.0126 हैक्टेयर माल उत्तम 0.0759 हैक्टेयर स्थित है इन आराजीयात को दावे मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है नकल

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(87)

जमाबंदी संलग्न है। मुताबिक जमाबंदी सर्वत 2072 से 2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2020 से) स्थाई ग्राम चछलाई तहसील सुनेल जिला झालावाड में नई खाता संख्या–121 व पुरानी खाता संख्या–47 की आराजीयात खसरा नम्बर–350/95 रकबा 0.3288 हैक्टेयर व खसरा नम्बर–351/96 रकबा 0. 1012 हैक्टैसर खसरा नम्बर–352/97 रकबा 0.0885 हैक्टेयर खसरा नम्बर–353/98 रकबा 0.1897 हैक्टेयर माल उत्तम 0.1770 हैक्टेयर स्थित है। जिसमे बीड प्रथम 0.0127 हैक्टेयर इन आराजीयात को दावे मे वादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया है नकल जमांबंदी सलंग्न है। मुताबिक जमाबंदी सवंत 2072 से 2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2020 से) स्थाई ग्राम चछलाई तहसील सुनेल जिला झालावाड में नई खाता संख्या 64 व पुरानी 55 की आराजी खसरा नम्बर –400/2 रकबा 0. 0120 हैक्टेयर गे.मु. चाह स्थित है जिसे दावे में वादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है नकल जमाबंदी सलंग्न है। मुताबिक जमाबंदी सर्वत 2072 से 2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2020 से) स्थाई ग्राम चछलाई तहसील सुनेल जिला झालावाड में नई खाता संख्या 67 व पुरानी खाता संख्या–61 की आराजी खसरा नम्बर–2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर स्थित है। जिसे दावे मे वादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है नकल जमाबंदी सलंग्न है। मुताबिक जमाबंदी सवंत 2072 से 2075 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2020 से) स्थाई ग्राम चछलाई तहसील सुनेल जिला झालावाड मे नई खाता संख्या 66 व पुरानी खाता संख्या 60 की आराजीयात खसरा नम्बर–14 रकबा 0.5185 हैक्टेयर खसरा नम्बर–50 रकबा 0.1897 हैक्टेयर स्थित है। जिसे दावे मे वादग्रस्त के नाम से सम्बोधित किया गया है नकल जमाबंदी सलंग्न है। दावें की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे प्रतिवादी नम्बर–4 जडावा बाई वादीगण की माता ने उनका 1ध्80 हिस्सा वादीगण के हक मे छोड दिया था कब्जा भी वादीगण को दे दिया था इसी तरह तीनो बहानो निर्मालाबाई, लीलाबाई, सायराबाई ने भी उनकी आराजी का कब्जा वादीगण को सम्भला दिया था माता जडावा बाई का स्वर्गवास हो

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

चुका है बहन निर्माला बाई का भी स्वर्गवास हो चुका है उसकी जगह उसके पति प्रतिवादी नम्बर 9 पवन का नाम दर्ज हो रहा है। जडाव बाई और पवन का नाम खाते से हटवाने का अधिकार वादीगण को प्राप्त है वर्तमान मे जीवीत बहने प्रतिवादी नम्बर–15 लिलाबाई प्रतिवादी नम्बर–19 सहायता बाई उनका हक व हिस्सा वादीगण के हक में छोड चूकी है इस तरह से प्रतिवादी नम्बर–4,9,14,18 के हिस्से वादीगण के हक मे जोडे जाने योग्य है। उनके नाम व हिस्सो का अंकन रिकार्ड से हटाया जाकर कम किये जाने योग्य है। वादीगण को उपरोक्त अनुसार रिकार्ड में दुरूस्ती व अमल दरामद कराने का अधिकार प्राप्त है। उक्त चारो का प्रत्येक का 1/80–1/80 हिस्सा दर्ज ,वं वादीगण का प्रत्येका का 7/240–7/240 हिस्सा दर्ज है। यानी कुल 28/240 दर्ज है इसमे 4ध्80 हिस्सा और जोडा जाना है। दावें की मद नम्बर 2 में वर्णित आराजी खाता संख्या–121/47 मे वादीगण का प्रत्येक का 1/21–1/21 हिस्सा दर्ज है। यानी कुल 4/21 हिस्सा दर्ज है। वादीगण की तीनो बहनो निर्माला व लीलाबाई ,वं सायताबाई ने प्रत्येक ने 1/21–1/21 वादीगण के हक में छोडकर उनके हिस्से का कब्जा वादी•ा को सम्भला दिया है इस तरह से वादीगण 7/21 यानी 1/3 हिस्से के खातेदार हो गये है। तीनो बहनो मे से बहन निर्माला का स्वर्गवास हो गया है उसके स्थान पर उसके पति पवन प्रतिवादी नम्बर–9 का नाम दर्ज है मगर उसका कोई हक भी नहीं और ना ही उसका कब्जा है। प्रतिवादी नम्बर 15 लीलाबाई प्रतिवादी नम्बर–19 सायताबाई को उनके हिस्से ओर निर्माला के हिस्से की आराजीयात वादीगण के नाम खाते मे दर्ज करने में कोई आपत्ति नही है वादीगण को 7/21 यानी 1/3 हिस्सा आराजीयात अपनी खातेदारी मे दर्ज करवाने एवं प्रतिवादी नम्बर–9, 14, 18 के नाम व हिस्से रेकार्ड से कम करवाने तदानुसार रिकार्ड मे दुरूस्ती करवाने का अधिकार प्राप्त है। दावे की मद नम्बर–3 में वर्णित खाता संख्या–64/55 कि आराजी खसरा नम्बर–400/2 रकबा 0.0126 गे.मु.चाह जिसका विभाजन सम्भव नही है।

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

जिसमे प्रतिवादी नम्बर–26 गुडडी बाई का 1/2 हिस्सा दर्ज है। एवं प्रत्येक वादीगण का 1/14–1/14 हिस्सा यानी 4/14 हिस्सा है। निर्माला लीलाबाई ब सायताबाई ने उनके 1/14 1/14–1/14 यानी 3/14 हिस्से को वादीगण के हक में छोड दिया है। मगर बहन निर्माला का स्वर्गवास हो गया है उसके स्थान पर उसके पति पवन प्रतिवादी नम्बर–9 का नाम दर्ज होगया है मगर उसका कोई हक व कब्जा नहीं है। प्रतिवादी नम्बर–15 लीलाबाई प्रतिवादी नम्बर–19 सायता बाई तीनो बहनो के 3/14 हिस्से को वादीगण की खातेदरी मे दर्ज करने में कोई आपत्ति नही है इस तरह से वादीगण 7/14 यानी 1/12 हिस्से के खातेदार हो गये है वादीगण को इस आशय की घोषणा करवाने प्रतिवादीगण नम्बर–9, 14, 18 के नाम व हिस्से रिकार्ड से हटवाकर कम करवाने व तदानुसार रिकार्ड मे दुरूरूती एवं अमल करवाने का अधिकार प्राप्त है। दावे की मद नम्बर में वर्णित खाता संख्या–67/61 की आराजी खसरा नम्बर–2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर में प्रत्येक वादीगण का 1/7–1/7 यानी 4/7 हिस्सा दर्ज है। तीनो बहनों निर्माला लीलाबाई सायताबाई उनका हक व हिस्सा वादीगण के हक में छोड चूकी है। दुर्भाग्य से बहन निर्माला का स्वर्गवास हो गया है उसके स्थान पर उसके पति प्रतिवादी नम्बर–9 पवन का नाम दर्ज होगया है मगर उसका कोई हक व कब्जा नही है। प्रतिवादी नम्बर 15 लीलाबाई व प्रतिवादी नम्बर–19 सायता बाई को तीनो बहनो का 3/7 हिस्सा वादीगण के खातेदारी मे दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से वादीगण 7/2 हिस्सा यानी सम्पूर्ण रकबे के खातेदार हो गये है। वादीगण को इस आशय की घोषणा करवाने प्रतिवादीगण नम्बर–9, 14, 18 के नाम व हिस्से को रिकार्ड से हटवाकर कम करवाने एवं तदानुसार रिकार्ड मे दुरूस्ती करवाने का अधिकार प्राप्त है। दावे की मद नम्बर–5 में वर्णित खाता संख्या–66/60 की आराजीयात खसरा नम्बर–14

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

रकबा 0.5185 खसरा नम्बर–50 रकबा 0.1897 हैक्टेयर में प्रत्येक वादीगण का 7/40–7/40 हिस्सा दर्ज है। एवं निर्मला लीलाबाई व सायता बाई तीनो बहनो का प्रत्येकाका 1/10–1/10 हिस्सा यानी 3/10 हिस्सा दर्ज है। तीनो बहनो ने उनका हक व हिस्सा वादीगण के हक मे छोड कर उनके हिस्से पर वादीगण को कब्जा सम्भला दिया है दुंभाग्य से बहन निर्मला का स्वर्गवास हो गया है उसके स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 9 पवन का नाम दर्ज हो गया है मगर उसका कोई हक व कब्जा नही है लीलाबाई एवं सायता बाई को तीनो बहनो की 3/10 हिस्सा आराजी वादीगण की खातेदारी मे दर्ज करने में कोई आपत्ति नही है। यानी 12/40 हिस्सा आराजी वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने में काई आपत्ति नही इस तरह से वादीगण 40/40 हिस्सा आराजी यानी सम्पुर्ण रकबे के खातेदार हो गये है वादीगण को इस आशय की घोषणा करवाने प्रतिवादी नम्बर–9, 14 18 के नाम व हिस्से रिकार्ड से हटवाकर तथा कम करवाने एवं तदानुसार रिकार्ड मे दुरूस्ती एवं अमल दरामद करवाने का अधिकार प्राप्त है। दावे को कारण गत सोमवार को उत्पन्न हुआ जब वादीगण नै हकपादाने की म नम्बर–1 में वर्णित प्रतिवादीया 4, 9, 15, 19 को नाम खाते से कम करने और उनके हिस्से की अराजी वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने एवं दावे की मद 2, 3, 4, 5 में वर्णित आराजीयात के खाते से प्रतिवादीगण 9, 15, 19 के नाम कम करने और उनके हिस्से की आराजीयात पाचगण को नाम खातेदारी मे दर्ज करने का आग्रेड किया तो उन्होने माननीय प्यायालय में दावा पेश करने का परामर्श किया अतः दावा प्रस्तुत है। दावा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद और माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार को लेण्ड होल्डर होने की वजह से जरिये तहसीलदार सुनेल को फार्मल पार्टी बनाय गया है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा स्वीकार एवं डिकी फरमाया जाकर

अ– दावे की मद नम्बर–1 में वर्णित खात संख्या–65/54 की आराजी थे प्रतिवादीगण नम्बर–4, 9, 14, 19 के नाम खाते से कम किये जाकर उनके

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(12)

प्रत्येक के हिस्से की 1/80–1/80 यानी 4/80 आराजीयात भी वादीगण की खातेदारी मे दर्ज करने, दावे की मद नम्बर–2 में वर्णित खात संख्या–121/47 की आराजीयत के खाते मे से प्रतिवादीगण नम्बर–9, 14, 19 के नाम कम किये जाकर उनके हिस्से की 3/21 आराजी कुल 7/21 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा आराजी वादीगण के खाते में दर्ज करने, दावे की मद नम्बर–3 में वर्णित खात संख्या–64/55 की आराजी के खाते मे से प्रतिवादीगण नम्बर–9, 14, 19 के नाम कम किये जाकर 1/2 हिस्सा गे.मु. चाह मे प्रतिवादी नम्बर–26 गुडडी बाई के साथ उसके 1/2 हिस्से के साथ शामलाती मे दर्ज करने, खाता संख्या–67/61 में वर्णित आराजी के खाते मे से प्रतिवादीगण नम्बर–9, 14, 19 के नाम कम किये जाकर सम्पुर्ण रकबा वादीगण की खातेदारी मे दर्ज करने, दावे की मद नम्बर–5 मे वर्णित खाता संख्या 60/60 की आराजीयात के खाते में से प्रतिवादी नम्बर नाम कम किये जाकर सम्पूर्ण रकबा वादीगण के नाम खातेदारी में दर्ज करने तदानुसार रिकार्ड में दुरुस्ती व अमल दरामद करने की डिक्री प्रदान करने की कृपा करे।

ब– अन्य सहायता जी भी माननीय न्यायालय उचित समझे व आवश्यक हो को धारा 209 राज.टी. एक्ट के प्रावधानो की रौशनी में वादीनाम क्यो प्रदान किये जाने की कृपा की जायें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 9, 14, 18 की ओर से दिनांक 21.10.2021 को प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 केम्प स्थल चछलाव में इकबाली जवाब पेश कर निवेदन किया कि दावे की मद नम्बर 1 स्वीकार है। दावे की मद नम्बर 2 स्वीकार है। दावे की मद नम्बर 3 स्वीकार है। दावे की मद नम्बर 4 स्वीकार है। दावे की मद नम्बर 5 स्वीकार है। दावे की मद नम्बर–6 में जो तथ्य वादीगण ने दर्ज करवाये है वो सही दर्ज करवाये है दावे की मद नम्बर के सभी तथ्य स्वीकार है। यानी की दावे की मद नम्बर–6 पूर्ण रूप से स्वीकार है। दावे की मद नम्बर–7 में जो तथ्य वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

ने दर्ज करवाये है वो सही दर्ज करवाये है दावे की मद नम्बर 7 के सभी तथ्य स्वीकार है। यानी की दावे की मद नम्बर–7 पूर्ण रूप से स्वीकार है। दावे की मद नम्बर–8 में जो तथ्य वादीगण ने दर्ज करवाये है वो सही दर्ज करवाये है दावे की मद नम्बर 8 के सभी तथ्य स्वीकार है। यानी की दावे की मद नम्बर–8 पूर्ण रूप से स्वीकार है। दावे की मद नम्बर–9 में जो तथ्य वादीगण ने दर्ज करवाये है वो सही दर्ज करवाये है दावे की मद नम्बर 9 के सभी तथ्य स्वीकार है। यानी की दावे की मद नम्बर–9 पूर्ण रूप से स्वीकार है। दावे की मद नम्बर–10 में जो तथ्य वादीगण ने दर्ज करवाये है वो सही दर्ज करवाये है दावे की मद नम्बर 10 के सभी तथ्य स्वीकार है। यानी की दावे की मद नम्बर–10 पूर्ण रूप से स्वीकार है। दावे की मद नम्बर–11 कानूनी है और स्वीकार है। दावे की मद नम्बर–12 कानूनी है और जवाब की मोहताज नहीं है। दावे की मद नम्बर–13 कानूनी है औ जवाब की मोहताज नही है। दावे की अंत मे चाही गई प्रार्थना स्वीकार है प्रार्थना की उप मद अ में दर्ज सभी तथ्य स्वीकार है। ग्राम चछलाई तहसील सुनेल मे स्थित आराजी खाता सं. 65/54 में वर्णित से हम प्रतिवादीगण नम्बर–4, 9, 14, 18 के नाम खाते से कम किया जाकर हमारे प्रत्येक के हिस्से की 1/80–1/80 यानि 4/80 हिस्सा आराजी का भी खातेदार घोषित किया जाकर वादीगण के खाते में जोडे जाने एवं खाता सं. 121/47 खाते से हम प्रतिवादीगण नम्बर–9, 14, 18 के नाम खाते से कम किया जाकर हमारे प्रत्येक के हिस्से की 1/21–1/21 यानि 3/21 हिस्सा आराजी का भी वादीगण के खाते में दर्ज करने तथा खाता सं. 64/55 की आराजी के खाते से हम प्रतिवादीगण नम्बर–9, 14, 18 के नाम खाते से कम किया जाकर 1/2 हिस्सा गे.मु.चाह में प्रतिवादी सं. 25 गुडडीबाई के साथ उसके 1/2 हिस्से के साथ वादीगण की शामलाती में दर्ज करने तथा खाता सं. 67/61 में वर्णित आराजी के खाते में से हम प्रतिवादीगण नम्बर–9, 14, 18 के नाम खाते से कम किया जाकर सम्पूर्ण रकबा वादीगण की खातेदारी में दर्ज करने तथा खाता सं. 66/60 की आराजी के खाते में से हम प्रतिवादीगण नम्बर–9, 14, 18 के नाम खाते से कम किया जाकर सम्पूर्ण रकबा वादीगण की खातेदारी में दर्ज

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

करने तदानुसार रिकार्ड में दुरूस्ती एवं अमल दरामद किये जाने मे हम प्रतिवादीगण नम्बर–9, 14, 18 को किसी भी प्रकार की आपत्ति व ऐतराज नही है वादीगण का दाव डिकी किये जने में हम प्रतिवादीगण की पूरी सहमति है। ब– प्रार्थना की उप मद ब स्वीकार हे। अतः इकबाली जवाब दावा पेश कर निवेदनं है कि वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद डिकी किये जाने की कृपा की जाये।

3. बाद में प्रतिवादी सं. 1 से 8, 10 से 13, 15 से 17 व 19 से 26 को पर्याप्त अवसर देने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुए जिससे मुताबिक आदेशिका दिनांक 02.08.2024 को इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 9, 14, 18 के भी बाद में बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से दिनांक 02.08.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

4. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम चछलाई तहसील सुनेल के खाता सं. 65, 121, 64, 67, 66, 146 की जमाबंदी सं. 2072–75 प्रदर्श 1 से 5 व 7, नामा.सं. 364 दिनांक 20.04.2016 प्रदर्श 6 पेश की एवं मौखिक साक्ष्य में बालमुकन्द पि. ईश्वरचन्द, नेमीचन्द पि. ईश्वरचन्द, जानकीलाल पि. लक्ष्मण, बाबूलाल पि. ईश्वरचन्द, नरवरसिंह पि. ईश्वरचन्द PW 1 to PW 5 के शपथपत्र/बयान कराये।

5. अभिभाषक वादीगण द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वादीगण ने ग्राम चछलाई तहसील सुनेल की खाता संख्या 65/54 की आराजियात के संबंध में दावा पेश किया है जिसमें प्रतिवादी नं. 4 मृतक जड़वाबाई जो वादीगण की माता है और उनका 1/80 हिस्सा दर्ज है अपने इस हिस्से को जड़ावबाई ने वादीगण के हक में पूर्व में ही छोड़ दिया था। इसी प्रकार वादीगण की तीनो बहनों निर्मलाबाई, लीलाबाई व सहायता बाई ने भी उनका हिस्सा आराजी पूर्व में ही वादीगण के हक में छोड़ कर कब्जा आराजी वादीगण को संभला दिया था। निर्मलाबाई का स्वर्गवास हो चुका है। निर्मलाबाई के स्थान पर उसके पति प्रतिवादी नं. 9 पवन का नाम गलत

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

तरीके से दर्ज कर दिया गया है जिसका नाम खाते से कम किया जाकर उसके हिस्से पर उसके स्थान पर वादीगण का नाम दर्ज किया जाये। प्रतिवादी नं. 14 लीलाबाई व प्रतिवादी नं. 8 सहायताबाई अपना हक व हिस्सा वादीगण के हक में छोड़ चुकी है इस तरह से प्रतिवादी नं. 4, 9, 14, 18 का नाम खाते से कम किया जाकर उनके हिस्से आराजी वादीगण के हक व हिस्सो में जोड़ा जाये। इन सभी का नाम रेकार्ड से कम किया जाये तथा इसी प्रकार रेकार्ड में दुरुस्ती की जाकर अमल दरामद किया जाये। प्रतिवादीगण नं. 4, 9, 14 व 18 का जो 1/80–1/80 हिस्सा है तथा वादीगण का प्रत्येक का 7/240–7/240 हिस्सा दर्ज है जो कुल 28/240 है जिसमें प्रतिवादी नं. 4, 9, 14, 18 का जो 4/80 हिस्सा है वो वादीगण के हक व हिस्से में जोड़ा जाये। इसी प्रकार दावे के पैरा नं.2 में वर्णित खाता संख्या 121/47 वाले ग्राम सधलाई तह० सुनेल जिसमें प्रतिवादीगण नं. 14. 18 का 1/21–1/21 हिस्सा दर्ज है प्रतिवादी नं. 9 वादीगण की बहन निर्मलाबाई का पति हैं निर्मलाबाई की मृत्यु हो चुकी है मगर उसने अपने जीवनकाल में ही अपनी बहनों लीलाबाई व सहायता बाई के साथ ही अपना हक व हिस्सा पूर्व में ही वादीगण के हक में छोड़ दिया था। तीनो बहनों के हिस्सा आराजी पर वादीगण काबिज हैं और काश्त कर रहे है। वादीगण अपनी इन तीनो बहनों के हिस्से पर इनके स्थान पर अपना नाम स्थापित करवाने की पात्रता रखते है जिसकी वजह से प्रतिवादीगण नं. 9, 14, 18 का नाम खाते से कम किया जाकर उनको हिस्से आराजी को वादीगण के हक व हिस्सो से जोड़ा जाये। वादीमण को कुल 7/21 यानी 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जाये तथा प्रतिवादीगण नं. 9, 14, 18 का नाम खाते से कम किया जाये। वादीगण द्वारा पेश किये गये दावे के पैरा नं. 3 में खाता संख्या 64/65 की आराजी ग्राम चछलाई तह० सुनेल की खसरा नं. 400 रकबा 0.0128 है. गे.मु. चाह में प्रतिवादी नं. 26 गुड्डीबाई का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा प्रत्येक वादीनण का 1/14–1/14 हिस्सा यानी 4/14 हिस्सा दर्ज है वादीगण की बहनो निर्मलाबाई, लीलाबाई, सहायता बाई ने अपना–अपना 1/14–1/14 हिस्सा यानी 3/14 हिस्सा वादीगण के हक में

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

छोड दिया है वादीगण की बहन निर्मलाबाई का स्वर्गवास हो जाने से उसके स्थान पर उसके पति प्रतिवादी नं 9 का नाम दर्ज हो गया है मगर उसका आराजी से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार प्रतिवादी नं. 9, 14, 18 का नाम व हिस्सा रेकार्ड से कम किया जाकर हटाया जाये इनके हिस्सो पर वादीगण का नाम दर्ज किया जाये तथा इसी अनुसार रेकार्ड में दुरुस्ती व अमल दरामद किया जाये। वादीगण द्वारा पेश दावे के पैरा नं. 4 में वर्णित खाता संख्या 67/61 की आराजी वाके ग्राम चछलाई तह० सुनेल की आराजी खसरा नं 2 रकबा 0.8094 है० में वादीगण का 1/7–1/7 यानी 4/7 हिस्सा दर्ज है। तीनो बहनों निर्मलाबाई, लीलाबाई व सहायता बाई का भी 1/7–1/7 हिस्सा है। निर्मलाबाई का स्वर्गवास हो जाने से उसके हिस्से पर उसके पति प्रतिवादी नं. 9 पवन का नाम दर्ज हो गया है। वादीगण की तीनो बहनो ने अपना–अपना हिस्सा पूर्व में ही वादीगण के हक में छोड़ दिया था तथा वादीगण को कब्जा संभला दिया था। प्रतिवादीगण नं. 9. 14 व 18 को अपना–अपना हिस्सा जी कुल 9/7 है की खातेदारी में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। जिसे वादीगण सम्पूर्ण आराजी 7/2 के खातेदार टीन्ही है। प्रतिवादी नं. 9, 14 व 18 के नाम खाते से कम किये जाकर वादी की पूर्ण आराजी का खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाये। वादीगण द्वारा पेश दावे के पैरा नं. 4 में वर्णित खाता संख्या 60/60 आराजियात खसरा नं. 14 रकबा 0.5185 हैं० व खसरा नं. 50 रकबा 0.1897 है. सभी वादीगण का 7/40–7/40 हिस्सा दर्ज है तीनो बहने निर्मलाबाई, लीलाबाई व सहायता बाई प्रत्येक का 1/10–1/10 यानी कुल 3/10 हिस्सा दर्ज है। तीनो बहनों ने अपना हिस्सा पूर्व में ही वादीगण के हक में छोड़ कर वादीगण को संभला दिया था। इसी दरमियान वादीगण की बहन निर्मलाबाई का देहान्त हो जाने से उसके हिस्से आराजी पर उसके पति प्रतिवादी नं. 9 का नाम दर्ज हो गया है मगर आराजी पर उसका कब्जा नहीं है। प्रतिवादीगण नं. 9. 14 व 18 को अपना–अपना हिस्सा जो कुल 3/10 है वादीगण की खातेदारी में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। इस तरह से इस खाता संख्या आराजी में वादीगण 4/40 यानी सम्पूर्ण रकबे के खातेदार टीनेन्ट हो गये हैं जिसकी

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(18)

वजह से प्रतिवादीगण नं. 9, 14 व 18 के नाम खाते से कम किये जाये व सम्पूर्ण आराजी वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जाये। वादीगण ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज में पेश किये है जिन्हे प्रदर्शित कराया है। मौखिक साक्ष्य में PW1 TO Pw5 के बयान कराये है। इसी प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से अपना वाद प्रमाणित किया है। प्रतिवादीगण नं. 9, 14 व 18 ने इकबाली जवाब दावा पेश किया है शेष प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है तथा उन्होंने वादीगण के याद का कोई विरोध नहीं किया है व अपनी मोन स्वीकृति दी है। अतः वादीगण की ओर लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि वादीगण द्वारा पेश किया गया वाद स्वीकार एवं डिक्री फरमाये जाने की कृपा की जाये।

6. अभिभाषक वादीगण की बहस एकतरफा के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण कर कथन है कि ग्राम चछलाई तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी खाता सं0 64, 65, 66, 67 व 121 में उनकी तीनो बहनो– लीलाबाई, निर्मलाबाई व सहायता बाई ने अपने अपने हिस्से का वादीगण के पक्ष में हक त्याग कर कब्जा संभला दिया था लेकिन वादीगण द्वारा ना तो हक त्याग करने की कोई तिथि/वर्ष या स्थान का अंकन किया है और ना ही कोई रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड हक त्याग पत्र पत्रावली में पेश किया है। हक त्याग करने का केवल कथन मात्र किया है। भारतीय कानुन के अनुसार किसी अचल संपति में अपने हक व अधिकारो का त्याग लिखित में, दोनो पक्षकारो द्वारा हस्ताक्षरित एवं दो गवाहो की उपस्थिति में उचित स्टाम्प पेपर पर होना चाहिए। भारतीय पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 17(1) के अनुसार सौ रूपये से अधिक मूल्य की अचल संपति के हस्तांतरण या अधिकार सृजन हेतु दस्तावेज का लिखित और पंजीकृत होना अनिवार्य है। इसी प्रकार पंजीकरण अधिनियम 1908 की धारा 49 के अनुसार अचल संपति के जिन दस्तावेजो का धारा 17 के अधीन पंजीकरण कराना अनिवार्य है, यदि वे अपंजीकृत है तो उनका कोई कानुनी प्रभाव नही होगा। ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर हक या अधिकारो का अन्तरण नही किया

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

9. माननीय केरल उच्च न्यायालय द्वारा सुरेश बनाम बलसाला 2018 मामले में अभिनिर्धारित किया है कि 100 रूपये से अधिक मूल्य की अचल संपत्ति में एक सहदायिक द्वारा पारिवारिक सेटलमेंट द्वारा सभी की सहमति से मौखिक हक त्याग किया जा सकता है लेकिन इसका साबित होना आवश्यक है। कानूनी उलझनो से बचने के लिये ऐसा हक त्याग पत्र विलेख सामान्यतः लिखित व पंजीकृत होना चाहिए। ऐसा ही अभिनिर्धारण **माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा गंगाधर पनधारी हरदे बनाम उत्तम 2008 मामले** में किया गया है।

10. हस्तगत प्रकरण में लिखित हक त्याग पत्र, स्वतंत्र गवाहों एवं अन्य दस्तावेजो के अभाव में वादीगण की तीनो बहनो द्वारा बताये गये बिना तिथि के मौखिक हक त्याग को स्वीकार नही किया जा सकता है। **वादीगण की एक बहन निर्मलाबाई की मृत्यू हो कर फौती इंतकाल से पति पवन का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार के रूप में दर्ज हो चूका है।** वादीगण की मां जडाब बाई का स्वर्गवास होना और उसके द्वारा अपने जीवन काल में वादीगण के पक्ष में मौखिक हक त्यागकर कब्जा छोडना भी साबित नही है। यदि वादीगण की मां जडाब बाई पत्नि इसरिया जाति नट फौत हो चूकि है तो उसके विरासत का नामांतरण नियमानुसार जांच कर वादीगण एवं अन्य विधिक वारीसन के पक्ष में ग्राम पंचायत/तहसीलदार द्वारा दर्ज किया जाना चाहिए। वादीगण का कथन है और साक्ष्य गवाहो से साबित भी है कि वादग्रस्त आराजी पर बरसो से सहखातेदार –माता जडाब बाई व तीनो बहनो के हिस्से पर अन्य सहखातेदार –वादीगण का ही कब्जा कास्त चला आ रहा है **लेकिन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अपने विभिन्न निर्णयो में यह अभिनिर्धारित किया है कि शामलाती आराजी में एक सहखातेदार के विरूद्व अन्य सहखातेदार को ना तो प्रतिकूल कब्जे कास्त में माना जा सकता है और ना ही राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे कास्त के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है।**

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

20

11. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम चछलाई तहसील सुनेल के खाता सं. 65 की वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 0.0885 है., खाता सं. 121 की वादग्रस्त आराजी किता 1 रकबा 0.3288 है, खाता सं. 64 की वादग्रस्त आराजी किता 1 रकबा 0.0126 है, खाता सं0 66 किता 2 रकबा 0.7082 हेक्ट0 एवं खाता सं0 67 किता 1 रकबा 0.8094 हेक्ट0 भूमि के संबंध में प्रति सं0 04, 09, 14 व 18 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित करने का वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 91, 88, 63ए, 209 आर.टी.एक्ट न्यायहित में आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

12. परिणामस्वरूप ग्राम चछलाई तहसील सुनेल के खाता सं. 65 की वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 0.0885 है., खाता सं. 121 की वादग्रस्त आराजी किता 1 रकबा 0.3288 है, खाता सं. 64 की वादग्रस्त आराजी किता 1 रकबा 0.0126 है, खाता सं0 66 किता 2 रकबा 0.7082 हेक्ट0 एवं खाता सं0 67 किता 1 रकबा 0.8094 हेक्ट0 भूमि के संबंध में प्रति सं0 04, 09, 14 व 18 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित करने का वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 91, 88, 63ए, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल मृतक प्रति 4 जडाबबाई वेवा इसरिया का फौती नामांतरण विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार दर्ज करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 15.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/5/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज0)
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 72 / 2020

दायर दिनांकः 08.10.2020

उनवान

1— नेमीचंद पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

2— नरवरसिंह पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

3—बाबुलाल पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

4— बालमुकनंद पि. ईसारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

— वादीगण

बनाम

1— अनार पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

2— अरूण पुत्र रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

3— कमलीबाई बेवा पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

4— मृतक जडावबाई बेवा इसरिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

5— जवानिया पि. हीरा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

6— जवारिया पि. हीरा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

7— पुजा पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

8— प्रहलाद पि. हीरा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

9— पवन पुत्र रामलाल जाति नट निवासी बिजनियाखेडी तहसील पिडावा

10— मदन पि. हीरा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

11— ममताबाई बेवा रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

12— मेहरबान पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

13— रामकन्या पुत्री पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

14— लीलाबाई पुत्री इसरिया पत्नि घनश्याम जाति नट नि. देवली तहसील रामगंजमंडी

15—शिल्पा पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

16–सपना पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
17– सलेमान पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
18–सायताबाई पुत्री इसारिया पत्नि बापुलाल जाति नट नि. कुमडा तहसील राजगढ़
19–सोनाबाई पुत्री रामनिवास जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
20–चेनसिंह पि. जुवारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
21– जगदीश पि. जुवारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
22– बनेसिंह पुत्र जुवारीया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
23– राजाराम पुत्र जुवारीया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
24– प्रेमबाई पुत्री जुवारीया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
25– गुडडीबाई पत्नि जुवारिया जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
26– लालचंद पुत्र पेमा जाति नट निवासी चछलाई तहसील सुनेल
27–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल राज.

– प्रतिवादीगण

वाद अर्न्तगत धारा–91,88,63 (ए), 209 राज.टी.एक्ट बाबत् विलोपित किये जाने नाम व हिस्सा प्रतिवादीगण नम्बर–4, 9, 15, 19 एवं जोडे जाने नाम वादीगण के हिस्से मे वास्ते घोषणा खातेदारी अधिकार एवं दुरूस्ती रिकार्ड

उपस्थिति अभिभाषकगण –
अभिभाषक वादीगण – श्री मसूद अहमद खान
अभिभाषक प्रतिवादी सं. 1 से 26 – एकतरफा
प्रतिवादी सं. 27 – पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई.....र..... रूबरू.....र..... मिनजानित मुदई रूबरू ..... ग्राम चछलाई तहसील सुनेल के खाता सं. 65 की वादग्रस्त आराजी किता 2 रकबा 0.0885 है., खाता सं. 121 की वादग्रस्त आराजी किता 1 रकबा 0.3288 है, खाता सं. 64 की वादग्रस्त आराजी किता 1 रकबा 0.0126 है, खाता सं0 66 किता 2 रकबा 0.7082 हेक्ट0 एवं खाता सं0 67 किता 1 रकबा 0.8094 हेक्ट0 भूमि के संबंध में प्रति सं0 04, 09, 14 व 18 के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित करने का

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(23)

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 91, 88, 63ए, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल मृतक प्रति 4 जडाबबाई वेवा इसरिया का फौती नामांतरण विधिक वारिसान की जांच कर नियमानुसार दर्ज करे।

15/5/26

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

निज .....रु..... मुबालिक .....रु..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....रु. .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....रु..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 15.05.2026 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

मुदई		मुदालेहान	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner